न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 125/2019-20

प्रथम पक्ष – उपेन्द्र राम पिता शंकर राम
ग्राम–गोविन्दपुर, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
21.12.20		

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–290R27/19-20 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
कर्रा	कर्रा 50	68	17	0.05

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–कर्रा, थाना–कर्रा के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.05 एकड़ है जिसे उपेन्द्र राम पिता शंकर राम ग्राम–गोविन्दपुर, थाना–कर्रा ने विक्री केवाला पट्टा सं0 1432/1412 दिनांक 03.12. 2018 द्वारा जयराज प्रसाद पिता स्व0 लाखु साहू ग्राम–गोविन्दपुर, थाना–कर्रा से क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार ऑनलाईन आवेदन में दस्तावेज सं0 1412 के जगह 1700 दर्ज होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निबंधन बिक्रय पट्टा में दस्तावेज सं0 1432/1412 दिनांक 03.12.18 पाया गया।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हुए नामांतरण हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी के समक्ष मूल रूप में दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत करे।

लेखापित एवं संशोधित

21/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

21/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।